23.06.2026

अभिलेख में आज तिथि नियत होने के कारण अभिलेख मेरे समक्ष प्रस्तुत हुआ। परिवादी की द्वारा अधिवक्ता हाजरी है। पुकार पर परिवादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुये। सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि परिवादी ने एस0सी0 एवं एस0टी0 थाना में आवेदन दिया था, जिसके आधार सोनों थाना में प्राथमिकी संख्या 09/2024 के रूप में काण्ड अंकित हुआ था। पुलिस ने अनुसंधान उपरांत अंतिम प्रतिवेदन संख्या 12/24 असत्य दर्शाते हुये समर्पित किया। इस अंतिम प्रतिवेदन के विरूद्ध सूचक द्वारा पूर्व में दाखिल विरोध पत्र–सह परिवाद पत्र को सूचक की इच्छा पर दिनांक 11.12.2025 को आपराधिक परिवाद माना गया एवं जांच कार्यवाही प्रारंभ की गयी। अभिलेख के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि इस मामले में परिवादी ने जांच क्रम में अपने सशपथ बयान (S.A.) के अतिरिक्त दो साक्षी सुनील दास एवं कृष्णदेव कुमार दास का साक्ष्य करवाया है।

परिवादी महेन्द्र कुमार के विरोध–सह–परिवाद पत्र के अनुसार परिवादी का मामला साररूप से इस प्रकार है कि प्रधान सचिव कृषि विभाग बिहार पटना के ज्ञापांक 633 दिनांक 9.10.2014 के आलोक में जिला कृषि कार्यालय जमुई में किसान सलाहकार के पद पर चयन हुआ था। दिनांक 6.3.2024 को उसने कृषि कार्यालय जमुई में योगदान दिया और डयूटी करने लगा। दिनांक 9.3.2024 को प्रधान लिपिक नृपेन्द्र कुमार पाठक से मिला तथा बातचीत करके वापस घर आया। पुनः दिनांक 13.04.2024 दिन शनिवार को डयुटी पर गया तो उससे नृपेन्द्र पाठक ने पैसा का डिमांड किया और बोला कि आपका नियुक्ति हो गया है और अभी तक रूपया नही दिया है। इस पर उसने कहा कि किस बात का रूपया तो इस पर नृपेन्द्र पाठक उग्र हो गया और बोला जब पैसा देने से मना किया तो नृपेन्द्र पाठक उसका कॉलर पकड़ लिया एवं बोला कि साला, चमार, मादरचोद, बहनचोद रूपया नही दोगे तो तुमको नौकरी नही करने देगें। फिर उसके साथ धक्का–मुक्का करने लगा तथा लप्पड़–थप्पड़ कर कार्यालय से बाहर कर दिया।

मैने अभिलेख का अवलोकन किया। इस अंतिम प्रतिवेदन के विरोध पत्र सह परिवाद पत्र पर परिवादी के सशपथ बयान के अतिरिक्त दो साक्षी सुनील दास एवं कृष्णदेव कुमार दास का करवाया है। परिवादी ने अपने बयान में कथन किया है कि **दिनांक 13.04.2024 को रूपये की मांग हुयी। पैसा मांगने का विरोध किया तो प्रधान लिपिक नृपेन्द्र उसका कॉलर पकड़**

लिया और बोला साला, मादरचोद, चमार कहकर गाली गलौज किया एवं धक्का मारकर कार्यालय से बाहर कर दिया। न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर कथन किया कि उसकी नियुक्ति जिला कृषि अधिकारी के आदेश संख्या 19 दिनांक 6.3.2024 के आदेश से हुयी थी। उसके साथ 33 लोगों की नियुक्ति हुयी थी। **उसमें से अधिकांश लोग प्रमुख लिपिक नृपेन्द्र पाठक के पैसे की मांग एवं दुरव्यवहार के कारण छोड़ चुके है।** जांच साक्षी संख्या 1 ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि **कुछ देर बाद उसके साला महेन्द्र दास का फोन आया कि नृपेन्द्र कुमार पाठक गाली–गलौज कर रहा है। जब वह वहां पहुंचा तो नृपेन्द्र कुमार ने उसके सामने साला, मादरचोद, चमार कहकर गाली दिया।** जांच साक्षी संख्या 2 ने कथ्ज्ञन किया कि **चचेरा भाई महेन्द कुमार को नृपेन्द्र पाठक ने कॉलर पकड़कर मादरचोद, चमार कहकर गाली गलौज किया तथा धक्का देकर गिरा दिया।** मेरे विचार से अभियुक्त नृपेन्द्र पाठक के भारतीय न्याय संहिता की धारा 131 एवं 352 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(r), 3(1)(S) के अंतगर्त दण्डनीय अपराध के करने का **प्रथम दृष्टया मामला बनता है**। अतः परिवादी को निर्देशित किया जाता है कि अभियुक्त की उपस्थिति हेतु समन की आपेक्षिताएं दाखिल करे।

वाद दिनांक वास्ते समन की आपेक्षिताएं दाखिल करने हेतु।

लेखापित

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम,
जमुई।